मुकेश कुमार बनाम राजस्थान सरकार वगै.
मुकदमा नम्बर 164 / 2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादी –

मुकेश कुमार पुत्र बन्नाराम जाति गुर्जर निवासी केरियाबास तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नावां (भूमिधारी) तहसील नावां।
2. भंवरीदेवी पत्नि बन्नाराम
3. गुल्लाराम पुत्र बन्नाराम
4. छोटुराम पुत्र बन्नाराम
5. पोकर पुत्र बन्नाराम सभी जातियान ग्राम केरियाबास तहसील नावां।

दावा बाबत इस्तकरार हक व रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट व
136 आर.एल.आर. एक्ट 1956

उपस्थित :– श्री भैरूराम कुमावत अधिवक्ता वादी
श्री राजेश कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 ता 5

मुकदमा नम्बरः 164 / 2023 निर्णय दिनांक :– 09.12.2023

निर्णय

वादीय द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम केरियाबास तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 380 रकबा 15.05 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। उक्त भूमि में वादी का राजस्व रिकॉर्ड में राजू पुत्र बन्नाराम दर्ज है। उक्त भूमि में भू–राजस्व अधिकारियों की भूल से मुकेश कुमार पुत्र बन्नाराम जाति गुर्जर निवासी केरियाबास के स्थान पर राजू पुत्र बन्नाराम दर्ज हो रखा है जबकि वादी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, अंक तालिका, मूल निवासी प्रमाण पत्र में मुकेश कुमार पुत्र बन्नाराम जाति गुर्जर निवासी केरियाबास नाम की शुद्धी करवाने का मुश्तहक है। इसलिए उक्त भूमि में वादी का नाम राजू पुत्र बन्नाराम के स्थान पर मुकेश कुमार पुत्र बन्नाराम जाति गुर्जर निवासी केरियाबास तहसील नावां दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 की ओर से इकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम केरियाबास के खसरा नम्बर 380 रकबा 15.05 हैक्टर भूमि में हमारी खातेदारी स्थित चली आ रही है राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम राजू पुत्र बन्नाराम दर्ज है जिसके स्थान पर मुकेश कुमार पुत्र बन्नाराम जाति गुर्जर निवासी केरियाबास तहसील नावां के नाम की शुद्धी की जावें तो इसमें हम उत्तरदातागण / प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है बल्कि हमारी पूर्ण सहमति है। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार नावां ने जवाब मय रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि ग्राम केरियावास के खसरा नम्बर 380 रकबा 15.05 हैक्टर भूमि में खातेदार राजू पुत्र बन्नाराम जाति गुर्जर एवं मुकेश कुमार पुत्र बन्नाराम जाति गुर्जर दोनों एक ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:40:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

व्यक्ति है एवं उनके पहचान दस्तावेजों में मुकेश कुमार पुत्र बन्नाराम दर्ज है। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में अंकतालिका, जन आधार कार्ड, बैंक डायरी, निर्वाचन पहचान पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र की प्रतियां पेश की।

उभयपक्षकारान को सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार राजस्व ग्राम केरियाबास तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 380 रकबा 15.05 हैक्टर भूमि में वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के इकबाली जवाब एवं तहसीलदार नावां की रिपोर्ट के आधार पर वादी का नाम राजू पुत्र बन्नाराम के स्थान मुकेश कुमार पुत्र बन्नाराम घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम केरियाबास तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 380 रकबा 15.05 हैक्टर भूमि में वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के इकबाली जवाब एवं तहसीलदार नावां की रिपोर्ट के आधार पर वादी का नाम राजू पुत्र बन्नाराम के स्थान मुकेश कुमार पुत्र बन्नाराम घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.12.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:40:44 IST
Reason: SelfAttested

अदालतः— उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला डीडवाना—कुचामन, राज.
अज अदालत :— श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादी –

मुकेश कुमार पुत्र बन्नाराम जाति गुर्जर निवासी केरियाबास तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नावां (भूमिधारी) तहसील नावां।
2. भंवरीदेवी पत्नि बन्नाराम
3. गुल्लाराम पुत्र बन्नाराम
4. छोटुराम पुत्र बन्नाराम
5. पोकर पुत्र बन्नाराम सभी जातियान ग्राम केरियाबास तहसील नावां।

मुकदमां नम्बर :– 164 / 2023 **निर्णय दिनांक :–** 09.12.2023

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री भैरूराम कुमावत अधिवक्ता वादी एवं श्री राजेश कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को डिक्री दी जाती हैं कि :–

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम केरियाबास तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 380 रकबा 15.05 हैक्टर भूमि में वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के इकबाली जवाब एवं तहसीलदार नावां की रिपोर्ट के आधार पर वादी का नाम राजू पुत्र बन्नाराम के स्थान मुकेश कुमार पुत्र बन्नाराम घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार नावां को तहरीर जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.12.2023 को जारी की गई।

मुहर (उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन))

दस्तखतः
ओहदा : उपखण्ड अधिकारी नावां
उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मीलान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:40:44 IST
Reason: SelfAttested